न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक 10.02.2022

निर्णय दिनांक 28.02.2024

प्रकरण संख्या 72/2022

उनवान

1. श्रीमती सुन्दर उर्फ सायरी पत्नी पन्ना बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्री किशनलाल पुत्र पन्ना बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मांगी लाल सेन

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 28/02/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– क्रमशः 560/1, 561/1, 568/2, 569/2, 570/1 कुल किता 05 कुल रकबा 0.6069 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम बिना किसी कारण के सायरी के बजाय सुन्दर अंकित कर दिया गया। बोल चाल की भाषा में प्रार्थीया का नाम सुन्दर कहते थे जबकि वास्तविक नाम सायरी होकर सभी दस्तावेज जैसे आधार, जनआधार, पहचान पत्र, मजदूर डायरी, बैंक खाता, ग्राम पंचायत गुन्दली से जारी पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम सुन्दर उर्फ सायरी अंकित है। प्रार्थीया राजस्व रेकार्ड में अंकित सुन्दर पत्नी स्व0 पन्ना बलाई के बजाय सायरी देवी दर्ज कराना चाहती है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी की नकल, आधार कार्ड की फोटोप्रति, निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रति, विवाह प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रति, मजदूर डायरी की फोटोप्रति, जॉब कार्ड की फोटोप्रति, बैंक पासबुक की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गुन्दली द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति, आय प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न प्रस्तुत की है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए सुन्दर पत्नी स्व0 पन्ना बलाई के बजाय सायरी पत्नी स्व0 पन्ना बलाई नाम दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम गुन्दली के आराजी नम्बर 560/1, 561/1, 568/2, 569/2, 570/1 कुल किता 05 कुल रकबा 0.6069 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में किशनलाल पुत्र पन्ना बलाई 1/2 एवं सुन्दर पत्नी स्व0 पन्ना बलाई 1/2 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का नाम सुन्दर पत्नी स्व0 पन्ना बलाई के बजाय सुन्दर उर्फ सायरी पत्नी स्व0 पन्ना बलाई नाम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार है:– क्रमशः 560/1, 561/1, 568/2, 569/2, 570/1 कुल किता 05 कुल रकबा 0.6069 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में अंकित सुन्दर पत्नी स्व0 पन्ना बलाई निवासी गुन्दली का नाम सुन्दर उर्फ सायरी पत्नी स्व0 पन्ना बलाई नाम परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा